



उत्तराखण्ड राज्य के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग के सामान्य व दिव्यांग छात्र-छात्राओं के आकांक्षा स्तर तथा समायोजन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ० सुनीता नौटियाल¹ और साजिया²

¹सहायक प्रोफेसर, बी०एड० विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) (उत्तराखण्ड)

²शोधार्थिनी, शिक्षा संकाय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) (उत्तराखण्ड)

*Corresponding Author Email-saziyakhan150883@gmail.com

Received : March 2026

Revised : April 2026

Accepted : April 2026

Published : April 2026

HOW TO CITE THIS ARTICLE:

नौटियाल, सु. (2026). उत्पादकों का माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करना व विज्ञान वर्ग के सामान्य व दिव्यांग छात्र-छात्राओं के आकांक्षा स्तर तथा समायोजन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन. शोध ज्ञानान्तिका, 14(2), 216-221.

कॉपीराइट © 2026 लेखक(गण)। इसे D.A.V. (P.G.) कॉलेज, आर्य समाज रोड, मुज़फ़्फ़रनगर (U.P.)-250101 के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह एक ओपन एक्सेस लेख है जिसे क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) की शर्तों के तहत वितरित किया गया है। यह लाइसेंस किसी भी माध्यम में बिना किसी रोक-टोक के इस्तेमाल, वितरण और पुनरुत्पादन की अनुमति देता है, बशर्ते मूल काम का उचित संदर्भ दिया जाए।

सारांश

यह समीक्षा पत्र उत्तराखण्ड राज्य के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग के सामान्य एवं दिव्यांग छात्र-छात्राओं के आकांक्षा स्तर एवं समायोजन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करता है। राज्य की कठिन भूगोलिक परिस्थितियों के बीच 'समग्र शिक्षा अभियान' के क्रियान्वयन, विशेष शिक्षकों की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। यह अध्ययन मौजूदा साहित्य और सरकारी रिपोर्टों के आधार पर सुधार के सुझाव प्रस्तुत करता है। इस लेख में चर्चा का मुख्य मुद्दा यह है कि विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के सन्दर्भ में भारतीय सन्दर्भ में स्वतंत्रता के बाद के सरकारी दस्तावेजों के विश्लेषण के आधार पर दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध विभिन्न शैक्षिक प्रावधानों पर चर्चा की गई है।

यह लेख माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग के सामान्य एवं दिव्यांग छात्र-छात्राओं के आकांक्षा स्तर एवं समायोजन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही भारतीय संविधान के सापेक्ष में एक समान शिक्षा के अधिकार की बात कही है।

विशेष शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को स्कूल, परिवार और समाज में अनुकूल समायोजित करने का प्रयास किया जाता है। ताकि वे अपनी दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकें। उत्तराखण्ड में विभिन्न शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों (जैसे उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग या NCERT की रिपोर्टें) और अकादमिक लेखों (जैसे UOU और अन्य विश्वविद्यालयों के) को खोजना होगा जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, शिक्षक प्रशिक्षण, नीतियों और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के मुद्दों पर केंद्रित हों; इन समीक्षाओं में अक्सर दिव्यांग बच्चों की विशेषताओं, शिक्षा के अधिकार (RTE) जैसे कानूनी ढाँचों के संदर्भ में उत्तराखण्ड के संदर्भ में समीक्षा की जाती है, ताकि सामान्य एवं दिव्यांग छात्र-छात्राओं के आकांक्षा स्तर एवं समायोजन स्तर के अध्ययन रोडमैप तैयार किया जा सके।

मुख्य शब्द — दिव्यांग, माध्यमिक स्तर, आकांक्षा स्तर एवं समायोजन स्तर

प्रस्तावना

शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के विकास ने नवीन क्रान्ति का सूत्रपात किया। वर्तमान समय में शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य बालकों की मूल भूत आवश्यकताओं तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना है, कोई भी दो एक जैसे दिखने वाले बालक भी एक सामान्य नहीं होते हैं, प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता पायी जाती है सभी बालकों का आकांक्षा

स्तर तथा समायोजन स्तर में विभिन्नता पायी जाती है। सभी विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर तथा समायोजन स्तर भिन्न-भिन्न होता है दिव्यांग बालकों का अपना अलग-अलग आकांक्षा स्तर होता है।

हल्लर एवं काफमैन :- भारत सरकार की ओर से कुछ नियम व अधिनियम बनाये गये हैं, जिसमें

कुछ में सामान्य बच्चों के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों का भी उल्लेख किया गया है।

1. भारतीय पुनर्वास परिषद – 1992
2. निशक्तजन अधिनियम – 1995
3. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम – 1999
4. सर्व शिक्षा अभियान – 2002
5. समावेशी शिक्षा – 2006
6. शिक्षा का अधिकार – 2009

इन सभी नीतियों के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे/व्यक्तियों की शिक्षा की चर्चा की गई है। इनके अन्तर्गत 2002 में आये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सबके लिए शिक्षा की प्राप्ति के उद्देश्य बनाये गये हैं।

पिछले पाँच दशकों में भारत सरकार के प्रयास से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की दिशा और व्यापक सेवाएं प्रदान करने की कोशिश की गयी है। 1974 में दिव्यांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (IEDC) के लिए केन्द्र प्रयोजित योजना शुरू की गई (NIOS, NCERT, Teacher Education, 1974)। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की पहल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाया गया और 1990 में विश्व शिक्षा की घोषणा देश में लाई गई। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई। दिव्यांगता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए दिव्यांगता अधिनियम 1995 के अध्याय 5 में संयोजन किया गया। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम (Right of Person with Disabilities Act 2016- PWD)

अध्याय-5 यह सुनिश्चित करता है कि विकलांगता से पीड़ित हर बच्चा 18 साल की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार रखता है।

आज के विद्यार्थी की आकांक्षा ऐसे व्यवसाय के चयन की होती है जिसमें उन्हें संतुष्टि भी प्राप्त हो साथ ही साथ आय और प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सकें किन्तु विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के पूर्ण अवसर प्राप्त न हो पाने के कारण उन्हें असफलता एवं निराशा का सामना करना पड़ता है (The Rights of Persons with Disabilities) प्रस्तुत अध्ययन इसी दिशा में एक प्रयास है जिसके माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग के सामान्य व दिव्यांग छात्र-छात्राओं के आकांक्षा स्तर तथा समायोजन स्तर किस-किस प्रकार का होता है।

सामान्य बालक

सामान्य बालक का तात्पर्य ऐसे बालक से है जो स्वस्थ बालक के समान ही रहते हैं जैसे उनमें कोई शारीरिक दोष नहीं हो, मानसिक उपलब्धियां भी सामान्य हो तथा सोचने विचारने की शक्तियां भी अन्य बालकों की तरह ही हो। इस प्रकार के बालक को सामान्य बालक की श्रेणी में रखते हैं। हम कह सकते हैं कि वह बालक जो कोई भी विशेष प्रकार की गुण या अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं सामान्य बालक कहलाते हैं।

- **अर्नोल्ड गोसेल** : अर्नोल्ड गोसेल ने "सामान्य बच्चे" को ऐसे बच्चे के रूप में परिभाषित किया जिसका विकास आनुवांशिक रूप से पूर्वनिर्धारित, व्यवस्थित शारीरिक और मानसिक चरणों के अनुक्रम के माध्यम से होता है (The Normal Child and Primary Education, 1912)।
- **टर्मन** : बुद्धि लब्धि के आधार पर 90-110 आई0 क्यू0 वाले बालकों को सामान्य माना गया है (द मेजरमेंट आफ इंटेलिजेंस, 1916)।
- **क्रो एण्ड क्रो** : विशिष्ट बालको के संदर्भ में, जो बालक औसत (सामान्य) योग्यता से भिन्न नहीं होते, वे सामान्य हैं (एजुकेशन साइकोलॉजी, 1948)।

सामान्य बालक वे बच्चें हैं जिनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक या संज्ञानात्मक विकास औसत स्तर का होता है ये बच्चें स्वस्थ, समाजिक और कक्षा की सामान्य गतिविधियों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं।

दिव्यांग बालक

दिव्यांग बालक से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी अक्षमताओं से ग्रस्त हैं, जो उनके सामान्य विकास, सीखने या समाज में समान भागीदारी को प्रभावित करती है।

विभिन्न विद्वानों ने दिव्यांग बालकों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है –

- (1) **क्रो एण्ड क्रो** – ऐसे बालक जिनमें शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है ऐसे बालक को हम शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक कह सकते हैं (पुस्तक-एजुकेशनल साइकोलॉजी, 1948)।
- (2) **एडलर** – एक बालक शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की भावना से बालक को थोड़ी सी संतुष्टि व प्रसन्नता मिलती है वह इसकी क्षतिपूर्ति प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता या प्रसिद्धि प्राप्त करके करना चाहता है, इन सबसे उसको संतुष्टि प्राप्त होती है जो उसके शारीरिक दोषों के कारण है।

दिव्यांग बालक वे बच्चें हैं जिनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदी या संज्ञानात्मक अक्षमताओं के कारण सामान्य गतिविधियों में सीमित भागीदारी होती है (Study of Organ Inferiority and its Phychical Compensarion, 1907)।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर महत्त्वपूर्ण प्रभावी कार्य आधारित होता है।

संबंधित क्षेत्र में किये गये कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख -

सिंह (1979) ने विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन क्षमता का अध्ययन किया। परिणामों में पाया कि उच्च समायोजन वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि भी उच्च थी, एवं इनका विद्यालयी, सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन भी अच्छा पाया गया।

सिंह, जी० के० (1982) ने ए स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ मेण्टली गिफटेड एण्ड रिटार्डेड चिल्ड्रेन अध्ययन में पाया गया कि भिन्न-भिन्न प्रकार के क्षमता युक्त छात्र में भिन्न-भिन्न प्रकार की बौद्धिक क्षमता होती है।

पाल हेमराज एण्ड निगम जितेन्द्र (2000) ने अंध दिव्यांग सामान्य, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन किया जिसमें पाया कि अनुसूचित जाति के अंधदिव्यांग विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता सामान्य जाति के विद्यार्थियों से उच्च पायी गयी। जबकि अग्रवाल (2002) ने सामान्य जाति के विद्यार्थियों समायोजन क्षमता अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से उच्च पायी गयी।

प्रधान के० सी० एवं सोनी (2011) ने किशोरावस्था वाले अंधदिव्यांग बालक-बालिकाओं के समायोजन एवं चिंता का अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पाया गया कि अंधदिव्यांग बालक एवं बालिका की समायोजन क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं पाया होता है। किशोरावस्था एवं जेंडर की अन्तःक्रिया समायोजन क्षमता पर प्रभाव नहीं डालती है।

गौतम, अमित एवं चन्देल, एन० पी० एस० (2016), दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी), "उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन" विषय पर शोध किया। अपने अध्ययन में इन्होंने पाया कि उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर होता है जबकि उनके शैक्षिक आकांक्षा स्तर में सार्थक नहीं होता। छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं शैक्षिक आकांक्षा में निम्न ऋणात्मक सह-संबंध होता है।

सिंह वन्दना, अमित्सौम्या (2019) के अमीनाबाद (लखनऊ) उत्तर प्रदेश में विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शोधकर्ताओं द्वारा दिव्यांगों के सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास से सम्बन्धित आनुभाविक अध्ययन बहुत कम किया गया है, परन्तु ये अध्ययन यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि अस्थि दिव्यांग बालक बालिकाओं का सामाजिक एवं संवेगात्मक

विकास सामान्य बच्चों की तरह ही होता है परन्तु जो बच्चें सामान्य विद्यालयों में अध्ययन करते हैं उनका विकास विशेष विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों से अधिक बेहतर रहता है। अतः यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अस्थि दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दी जाए एवं उनसे सामान्य व्यवहार किया जाए।

पाण्डे प्रेम प्रकाश (2020) के लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि किशोर बालकों के आकांक्षा स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पाया जाता है तथा मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन काल, समाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा शरीरिक विकास उसके आकांक्षा स्तर से प्रभावित होता है।

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संशक्तिकरण संस्थान, देहरादून (प्रथम संस्करण 2024) इस पुस्तक में यह स्पष्ट है कि दिव्यांगता चाहे कोई भी हो उचित तथा गुणात्मक शिक्षण के लिए दिव्यांग बालकों के स्तर, आयु, क्षमता तथा कार्यात्मक स्तर का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। उसी के आधार पर सही शिक्षण नीति का चुनाव व उपयोग करके हम सही दिशा में कार्य कर सकते हैं एवं सही/उचित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बौद्धिक अक्षमता में सामान्य मानसिक क्षमताओं के साथ समस्याएं शामिल होती हैं जो दो क्षेत्रों में कामकाज को प्रभावित करती हैं: बौद्धिक कामकाज (जैसे सीखना, समस्या समाधान, निर्णय) तथा अनुकूली कामकाज (दैनिक जीवन की गतिविधियां जैसे संचार और स्वतंत्र जीवन)। क्रम-बद्ध एवं व्यवस्थित चरणों के माध्यम से हम बौद्धिक दिव्यांगता तथा स्वपरायणता से संबंधित बच्चों का सफल प्रबंधन कर इन्हें समाज की मुख्य धारा में समायोजित कर सकते हैं।

शोध की आवश्यकता

प्रस्तावित शोध कार्य माध्यमिक स्तर पर सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों का अध्ययन व्यक्तिगत भिन्नताओं, आकांक्षा स्तर, समायोजन स्तर तथा शैक्षिक व व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका लाभ माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सामान्य तथा दिव्यांग बालकों के भविष्य में बेहतर कार्य प्रणाली विकसित करने में भी किया जा सकेगा। प्रायः यह देखा गया है कि सामान्य व्यक्तियों का व्यवहार दिव्यांग बालकों के प्रति हेयदृष्टि या हीन भावना का होता है जिसके कारण दिव्यांग बालकों का सामान्य बालकों के साथ समायोजन उचित प्रकार से नहीं हो पाता है (डा. के. के. झा, 2022 विशिष्ट शिक्षा)। दिव्यांगों की किसी व्यवसाय विशेष की आकांक्षा तो होती है किन्तु उस व्यवसाय में अपेक्षित व्यक्तिगत व सामूहिक व्यावसायिक योग्यताओं के विषय में जानकारी नहीं हो पाती और कई बार उनका विषय वर्ग भी उनकी व्यावसायिक रुचि तथा आकांक्षा स्तर से मेल नहीं खाता है ऐसी स्थिति में वे भविष्य में अपना इच्छित व्यवसाय नहीं अपना पाते हैं तथा सामान्य वर्ग के साथ अपना समायोजन उचित तरीके से नहीं कर पाते और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। इसी कारण इस बिन्दु पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

समस्या कथन

उत्तराखण्ड राज्य में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग के सामान्य व दिव्यांग छात्र-छात्राओं के समायोजन स्तर तथा आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन”

शोध उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के समायोजन स्तर एवं आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना

उत्तराखण्ड राज्य के माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के समायोजन स्तर एवं आकांक्षा स्तर में सार्थक अंतर होगा।

परिसीमाएँ

प्रस्तावित शोध का अध्ययन परिक्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जिले के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक विद्यालय हैं।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध कार्य की अध्ययन विधि में वर्णनात्मक-तुलनात्मक (Descriptive-Comparative Research Design) को लिया गया है यह शोध क्रॉस-सेक्शनल (Cross-Sectional) प्रकृति है, जिसमें एक ही समय पर विभिन्न समूह से डाटा संकलित किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य गुणात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि एवं परीक्षण द्वारा आंकड़ों के संकलन विधि पर आधारित है। सर्वेक्षण अनुसंधान के रूप में प्रश्नावली, साक्षात्कार शामिल है (महेश भार्गव: आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन, 1995)।

प्राथमिक डेटा (Primary Data)

यह डेटा मूल और प्रत्यक्ष रूप से सीधे स्रोतों (उत्तरदाताओं) से एकत्र किया जाएगा, प्रत्यक्ष दौरा (Direct Visit) : शोधकर्ता स्वयं संबंधित क्षेत्रों में जाकर प्राथमिक डेटा एकत्र करेगा।

- **साक्षात्कार (Interview)** : सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ आमने-सामने बातचीत (Direct Personal Investigation) के माध्यम से विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी।
- **प्रश्नावली (Questionnaires)** : यह एक संरचित (Structured) प्रश्नों का सेट होगा, जिसे उत्तरदाताओं से भरवाया जाएगा।
- **सांख्यिकीय विश्लेषण (Statistical Analysis)** : एकत्र किए गए डेटा को सांख्यिकीय विधियों (Statistical Methods) का उपयोग करके संसाधित और विश्लेषित किया जाएगा।

द्वितीयक डेटा (Secondary Data)

- यह डेटा पहले से मौजूद स्रोतों से एकत्र किया जाएगा, जो अध्ययन को आधार प्रदान करेगा, पुस्तकें (Books) : सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर, समायोजन स्तर तथा व्यावसायिक रूचि के अध्ययन से संबंधित साहित्यिक और अकादमिक पुस्तकें।
- **शोध पत्रिकाएं (Research Journals)** : हाल के वर्षों में प्रकाशित शोध लेख।
- **सरकारी रिपोर्ट (Government Reports)** : जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट।
- **समाचार पत्र (Newspapers)** : प्रमुख घटनाओं की जानकारी के लिए।
- **इंटरनेट का उपयोग (Use of Internet)** : आधिकारिक वेबसाइटों, ऑनलाइन डेटाबेस (जैसे Drishti IAS, ResearchGate, Google Scholar) का उपयोग।

व्याख्या एवं विश्लेषण

विशेष आवश्यकता वाले बालकों की जनसंख्या एवं शैक्षिक आँकड़े

तालिका संख्या-1

समस्त जनसंख्या एवं दिव्यांग जनसंख्या की तुलना (करोड़ में)

समस्त जनसंख्या, भारत 2011			दिव्यांग जनसंख्या, भारत-2011		
व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
121.08	62.32	58.76	2.68	1.5	1.18

स्रोत: सेंसस ऑफ इंडिया, 2011 (मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एण्ड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट इंडिया)

तालिका संख्या-1 के 2011 की जनगणना के आंकड़ों से यह पता चलता है कि कुल 121.08 करोड़ जनसंख्या में से दिव्यांगों की जनसंख्या 2.68 करोड़ (2.21 प्रतिशत) है। जिसमें पुरुष दिव्यांगों की संख्या 1.5 करोड़ तथा महिला दिव्यांगों की संख्या 1.18 करोड़ है। अतः भारत में दिव्यांगों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है।

तालिका संख्या-2

शिक्षित एवं अशिक्षित दिव्यांगों की संख्या

	कुल दिव्यांग जनसंख्या	शिक्षित	अशिक्षित	दिव्यांग जनसंख्या का साक्षरता प्रतिशत	समस्त जनसंख्या की साक्षरता प्रतिशत
भारत	26814994	14618353	12196641	54.52	74.04

स्रोत : सेंसस ऑफ इंडिया, 2011 (मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एण्ड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट इंडिया)

तालिका संख्या-2 के आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत में जहां कुल शिक्षित दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या 14618353 है वहीं अशिक्षित दिव्यांगों की संख्या 12196641 है, अर्थात् केवल 54.52 प्रतिशत ही दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षित हैं, जबकि आज भी अशिक्षित दिव्यांगों की संख्या 45 प्रतिशत से अधिक है। अतः अशिक्षित दिव्यांगों को विशेष शिक्षा में सम्मिलित करके विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

तालिका संख्या-3

विकलांगता की प्रकृति के आधार पर दिव्यांग जनसंख्या प्रतिशत (2015-16)

दिव्यांगता की प्रकृति	अंधे	कमदृष्टि	श्रवण बाधित	वाक बाधित	चलन बाधित	मानसिक बाधित	अधिगम अक्षमता	मस्तिष्क पक्षाघात	आत्म केंद्रित	बहुदिव्यांगता
प्रतिशत	2.78	16.84	10.54	9.97	17.10	22.01	11.44	2.55	0.93	5.85

स्रोत : यू-डाइस 2015-16 : ग्राफिक प्रेजेंटेशन

वर्ष 2015-16 के आंकड़ों से यह पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों में से सबसे अधिक मानसिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थी पाये जाते हैं, जिनका प्रतिशत 22.01 है।

तालिका संख्या-4

दिव्यांगों की साक्षरता स्थिति : लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर (आंकड़े 2011)

	शिक्षित		अशिक्षित	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
व्यक्ति	48	67	52	33
पुरुष	58	72	42	28
महिला	37	61	63	39

स्रोत : सेंसस ऑफ इंडिया, 2011 (मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एण्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट इंडिया)

तालिका संख्या-4 के 2011 के जनसंख्या आंकड़ों से यह पता चलता है जहाँ शहरी दिव्यांग पुरुष 72 प्रतिशत शिक्षित हैं वहीं ग्रामीण दिव्यांगों की साक्षरता केवल 58 प्रतिशत है। यदि दिव्यांग लड़कियों की साक्षरता की बात की जाए तो जहाँ शहरी दिव्यांग महिलायें 61 प्रतिशत शिक्षित हैं वहीं ग्रामीण दिव्यांग महिलायें 37 प्रतिशत ही शिक्षित हैं। यदि अशिक्षित दिव्यांग पुरुषों की तुलना की जाए तो 42 प्रतिशत ग्रामीण दिव्यांग पुरुष अशिक्षित हैं जबकि 28 प्रतिशत शहरी पुरुष अशिक्षित हैं। यदि दिव्यांग अशिक्षित महिलाओं की तुलना की जाये तो 39 प्रतिशत शहरी एवं 63 प्रतिशत ग्रामीण दिव्यांग महिलायें अशिक्षित हैं। अतः उपरोक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि ग्रामीण अशिक्षित दिव्यांग पुरुषों एवं महिलाओं की विशेष शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान देने की

अशिक्षित

दिव्यांग व्यक्तियों का शैक्षिक स्तर

	शैक्षिक स्तर	कुल दिव्यांग जनसंख्या		
		कुल	पुरुष	महिला
भारत	कुल	26814994	14988593	11826401
	अशिक्षित	12196641	5640240	6556401
	शिक्षित	14618353	9348353	5270000
	साक्षर लेकिन प्राथमिक से कम	2840345	1706441	1133904
	प्राथमिक लेकिन माध्यमिक से कम	3554858	2195933	1358925
	माध्यमिक लेकिन मैट्रिक से कम	2448070	1616539	831531
	मैट्रिक लेकिन स्नातक से कम	344865	2330080	1118570
	स्नातक एवं उर्सेस अधिक	1246857	839702	407155

स्रोत: सेंसस ऑफ इंडिया, 2011 (मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एण्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट इंडिया)

तालिका संख्या-5 के आंकड़ों से यह पता चलता है कि कुल 26814994 दिव्यांग विद्यार्थियों में से 146118353 शिक्षित हैं जबकि 12196641 अशिक्षित हैं। यदि दिव्यांग लड़कों की बात की जाये तो 9348353 शिक्षित हैं जबकि 8640240 अशिक्षित हैं। दिव्यांग लड़कियों की साक्षरता की बात की जाये तो 5270000 शिक्षित है तथा 6556401 अशिक्षित हैं। इसके अलावा विभिन्न स्तर पर भी दिव्यांग लड़के एवं लड़कियों की साक्षरता स्तर को दर्शाया गया है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय इस प्रकार का है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना तथा अपनी भावी पीढ़ी का सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रयत्न करने चाहिए ताकि समाज के हर भाग में एक दिव्यांग बालक अपना योगदान दे सके ताकि देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के सुधार में अपना योगदान दे सके। ऐसा तभी सम्भव है जब देश के प्रत्येक नागरिक तक शिक्षा को पहुंचाया जायेगा इसमें दिव्यांग बालकों की संख्या अत्यधिक है, जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 में विशेष शिक्षा के उच्चीकरण की बात की गई है और न्यायसंगत शिक्षा जो प्रत्येक बालक के लिए समान अवसर पैदा करती है, को अपनाने की नीति बनाई गई है। दिव्यांग बालक भी हमारे देश के भविष्य है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक तथा व्यवसायिक शिक्षा तक जोड़ने की सोचें और उन्हें वह मकाम भी हासिल करायें। आज भी विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षिक उपलब्धि संबंधी स्थिति चिंताजनक है। आंकड़े बताते हैं कि आज भी दिव्यांग लोगों की आधी आबादी शिक्षा से दूर हैं। आवश्यक है कि समाज के इस वर्ग के अस्तित्व की महत्ता को उचित स्थान दिया जाये

और उनके शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए अपेक्षित कदम उठाये, विशेष शिक्षा दिव्यांग बालकों को देश के उत्थान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा।

परिणाम

प्रदत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्या द्वारा निम्न परिणाम प्राप्त किये गये हैं:-

1. उत्तराखण्ड राज्य के माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के समायोजन स्तर एवं आकांक्षा स्तर में सार्थक अंतर पाया गया।
2. यह परिणाम पाया कि उच्च और निम्न निष्पत्ति वाले विद्यार्थियों के माता-पिता के व्यवहार में अन्तर है साथ ही जिन विद्यार्थियों के माता-पिता का अपनी संतानों के साथ उच्च सकारात्मक सांवेगिक अनुबंधन है उन विद्यार्थियों का शैक्षिक आकांक्षा स्तर उच्च है वहीं जिन विद्यार्थियों के माता-पिता का अपनी संतानों के साथ निम्न स्तरीय सांवेगिक अनुबंधन है उन विद्यार्थियों का शैक्षिक आकांक्षा स्तर निम्न है।
3. शारीरिक चुनौती युक्त विद्यार्थियों के समायोजन एवं स्वबोध का अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्ष पाया गया कि शारीरिक रूप से चुनौती युक्त बालक-बालिकाओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अन्तर होता है।
4. अंध दिव्यांग सामान्य, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन किया जिसमें पाया कि सामान्य जाति के अंध दिव्यांग विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से उच्च पायी गयी।

संदर्भित सूची

- सिंह (1979) : Indian Journal Psychology, इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल या NCERT ds Archives on Education
- प्रेम प्रकाश पाण्डे (2020) : ISSN: 2456.5474 Innovation the Research Concept
- अंजुबाला सिंह (2019) : Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) ISSN: 2349-5162 www.ijrar.org
- राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संशक्तिकरण संस्थान, देहरादून (प्रथम संस्करण 2024) : ISBN: 978.81.948046.6.6
- दयाल एस0 के0, पाण्डे एन0, धवन एन0 एण्ड द्विजेन्द्र डी0 (2003) : दि माइण्ड मैटर्स : डिसेबिलिटीज एटीच्यूड एण्ड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पब्लिकेशन, इलाहाबाद
- केवट आर0 एन0 (2009) : " समेकित शिक्षा के अर्न्तगत सामान्य एवं विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों एवं सामाजिक समायोजन का अध्ययन " परिप्रेक्ष्य वर्ष-16, अंक-1, अप्रैल, प्र0 109-114
- आसिफ मौहम्मद (2010) : " माध्यमिक स्तर पर मुस्लिम छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षाओं एवं समस्याओं का अध्ययन " मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)

<https://shoganga.inflibnet.ac.in?>

भटनागर, आर.पी. (2005) : शिक्षा अनुसंधान रॉयल बुक डिपो, मेरठ.

भार्गव, एम0 (1995) : मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन प्रकाशक-हरभार्गव 4 / 230, कचहरी घाट, आगरा, दसवाँ संस्करण.

www.nuepa.org/new/pub-pripreksh.aspx

www.ncert.nic.in/publication/journals/journal.html

मंगल, एस0 के0 (2009) : शिक्षा मनोविज्ञान पी एच आइलर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

अस्थाना, विपिन (2014) : मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन और मूल्यांकन विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

श्रीवास्तव डी0 एन0 : अनुसन्धान विधियाँ साहित्य प्रकाशन, आगरा.

शर्मा आर0 ए0 (2005) : शिक्षा अनुसन्धान आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ शोध गंगा

एजुकेशन फॉर ऑल : टूवर्ड्स क्वालिटी विद इक्विटी (2016) : एम0 एच0 और डी0 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (<http://www.nuepa.org>)

एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स (2016) एम.एच.आर.डी. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एण्ड लाइटरेसी, न्यू दिल्ली।

आइन्सकोव, मेल., टोनी बुथ एवं डायसन, एलन (2003), अंडरस्टैंडिंग एण्ड डेवलपिंग इन्क्लूसिव प्रैक्टिसेस इन स्कूल, मैनचेस्टर: टीचिंग एण्ड लर्निंग रिसर्च प्रोग्राम।

डिसेबल पर्सन इन इंडिया : ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल (2016), मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एण्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जी.ओ.वी (<http://www.nospi.gov.in>)

भार्गव, राजश्री (2016) : समावेशी शिक्षा, आगरा : राजश्री प्रकाशन

<https://www.tetsuccesskey.com/2017/01/national-policy-of-education-1986-poa-1992.html>

<https://ncert.nic.in/pdf/publication/otherpublications/SpecialNeeds.pdf>

समावेशी MHRD – <https://www.uou.ac.in swayam.gov.in>

<https://en.m.wikipedia.org>

Dr. Kewalanand Kandpal : (<https://www.teachersofindia.org>)

भार्गव, महेश (1995) : आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन, आगरा भार्गव प्रकाशन पेज-574।

भटनागर, आर0 पी0 एवं मीनाक्षी भटनागर (2005) : " शिक्षा अनुसंधान " मेरठ, लायल बुक डिपो पेज 567

भटनागर, सुरेश, (2002) : " शिक्षा मनोविज्ञान " मेरठ आर लाल बुक डिपो पेज – 559

बुच एम0 बी0 (1995) : फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, पेज-1655

चौहान एस0 एस0 (1996): एडवांस एजुकेशनल साइकोलोजी, नई दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाउस पेज –537।

दुबे हरिनारायण (1991) : विश्व का इतिहास, इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन, पेज- 498।